Steps to reduce Fiscal Deficit

1041. SHRI SURESH PACHOURI: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether leading economists have urged Government to take steps to reduce fiscal deficit, rationalise subsidies, privatise the non-core public sector to utilise energy optimally and improve tax administration;

(b) whether Government have considered these views; and

(c) if so, what steps are being taken in this regard?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE AND THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI DIGVIJAY SINGH): (a) to (c) The suggestions made by the Economists, as also by other organisations and individuals, are taken into consideration while formulating Government Policies.

Financial Assistance received from USAID

1042. SHRI B. K. HARIPRASAD: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have been receiving financial assistance from USAID and if so, what is the quantum of funds received during the last three years, year-wise;

(b) whether it is also a fact that the assistance given by USAID is not being fully utilised leaving huge amounts to lapse and if so, the reasons therefor; and

(c) whether Government propose to set up a high power committee to look into this problem of mismanagement and non-utilisation of available funds?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE AND THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI DIGVIJAY SINGH): USAID have provided financial assistance in the last three US fiscal years (October to September as follows:

Fiscal year 1988—US $ 22.23 million
Fiscal Year 1989—US $ 22.09 million
Fiscal Year 1990—US $ 15.47 million

(b) Assistance is provided on incremental basis towards projects being implemented with USAID assistance. The assistance is spread over the entire span of the project extending between six to eight years. Unutilised amounts would therefore remain each year until project completion. Implementation of some of the projects is, no doubt, behind schedule because of various reasons like non-availability of adequate counterpart rupee funds, exchange rate fluctuation, delay in land acquisition, etc.

(c) No Sir. As the progress of projects financed with foreign assistance is constantly being reviewed at appropriate levels both at the Centre and the States, there is no need for a high power committee to review the projects.

बड़ी निगमित संस्थाओं द्वारा लिये गए बैंक ऋणों की धनराशि को मुनाफाखोरी के प्रयोजनार्थ उपयोग में लाया जाना

1043. **श्री अजीत जोगी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 20 नवम्बर, 1990 के "द इकनोमिक टाइम्स" में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि बड़ी कम्पनियों द्वारा लिये गए ऋणों की धनराशि को मुनाफाखोरी के प्रयोजनार्थ उपयोग में लाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार इस मामले में क्या कदम उठाने का विचार रखती है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री और विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) जी, हां।

(ख) सरकार की प्रतिक्रिया स्थिति में सुधार करने की है।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यह सूचित किया गया है कि बैंक ने सभी वाणिज्यिक बैंकों को पहले ही ऋण दस्तावेज में इस आशय का एक उपयुक्त खण्ड शामिल करने को कहा है कि ऋण-कर्ता को ऋण की राशि या उसके किसी भाग को मंजूर किये गये प्रयोजन के अलावा किसी अन्य प्रयोजन के लिये उपयोग करना वर्जित है। यदि बैंक को इस बारे में आशंका हो अथवा यह विश्वास हो जाता है कि ऋणकर्ता इस शर्त का उल्लघंन कर रहा है तो बैंक को ऋण की राशि अथवा उसके किसी भाग को तुरन्त वापिस मांगने का अधिकार है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को इस अनिवार्य अपेक्षा पर बल देते हुए यह सुनिश्चित करने के अनुदेश जारी किये हैं कि नकद ऋण खातों से आहरणों के संबंध में धनराशियों के अन्तिम उपयोग को सुनिश्चित करें ताकि कार्यशील पूंजी निधियों को अन्य प्रकार के निवेशों से अथवा सट्टे संबंधी प्रयोजनों से बचाया जा सके और दुर्लभ धनराशियों को अन्यथा इस्तेमाल से रोका जा सके। भारतीय रिजव बैंक ने इसे गम्भीरता से लिया है और धनराशियों के अन्य प्रयोजनों के लिये इस्तेमाल के सभी मामलों का अवरोध किया है। बैंकों को अवज्ञा करने वाले ऋणकर्ताओं के अवरुद्ध कठोर कदम उठाने के लिये कहा गया है।

बड़े औद्योगिक घरानों द्वारा निर्यात वायदों का पूरा न किया जाना

1044. **श्री अजीत जोगी :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बड़े औद्योगिक घराने अपने निर्यात वायदों को पूरा नहीं कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार क्या कदम उठा रही है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान उनके निर्यात वायदों का वर्षवार कितना-कितना प्रतिशत पूरा किया गया?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शांतिलाल पुरुषोत्तम दास पटेल) : (क) से (ग) क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकारियों से अपेक्षित जानकारी एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

कतिपय निर्यात-गृहों को पारेषण के जहाज में लदान-पूर्व निरीक्षण से छूट का दिया जाना

1045. **श्री अजीत जोगी :**
कुमारी चन्द्रिका प्रेमजी केनिया :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्यया चालू वर्ष के दौरान कुछ निर्यात गृहों को माल के जहाज में लदान पूर्व निरीक्षण से छूट दी गई है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) ऐसी छूट दिए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या इसके परिणामस्वरूप घटिया सामान का निर्यात होने लगा है जिससे देश की प्रतिष्ठा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शांतिलाल पुरुषोत्तमदास पटेल) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता-प्राप्त चोटी के व्यापार घरानों, व्यापार घरानों तथा निर्यात सदनों को यह बात ध्यान में रखते हुए इंजीनियरिंग उत्पादों तथा फुट वियर और फुट वियर संघटकों के अनिवार्य लदानपूर्व निरीक्षण से छूट दी गई है कि उन्होंने विदेश के बाजारों में अपनी विश्वसनीयता प्राप्त कर ली है। दिनांक 6-10-1990 और 19-10-90 की अधिसूचनाएं विवरण-I और II के रूप में संलग्न हैं।